राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(साधारण बीमा निधि)
द्वितीय तल, डी–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005
e-mail add.gis.sipf@rajasthan.gov.in Phone No. 0141-2740219

क्रमांक :–साबीनि / जीपीए / रा.कर्म. / पार्ट–4 / 2017–18 / 163-964 दिनांक :– 21.05.20

दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत राज्यकर्मियों की प्रीमियम कटौती के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के दुर्घटना बीमा हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जाती है। राजस्थान सरकार द्वारा बजट (वर्ष 2021–22) की घोषणा संख्या–245 के अन्तर्गत इस योजना में देय राशि 3 लाख रूपये के विकल्प के साथ–साथ बढ़े हुए प्रीमियम के आधार पर उनकी श्रेणी के अनुसार 10 लाख, 20 लाख एवं 30 लाख रूपये का विकल्प भी कार्मिकों को उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में वित्त(बीमा / पेंशन) विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प. 4(72) वित्त / राजस्व / 94 लूज दिनांक 25.03.2021 जारी कर कार्मिकों को निम्नानुसार प्रीमियम राशि एवं बीमाधन के विकल्प उपलब्ध कराते हुए इनमें से किसी एक विकल्प का चयन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था :–

श्रेणी	प्रीमियम दर	बीमाधन
1.	220 / – रू.	3 लाख रू.
2.	700 / –रू.	10 लाख रू.
3.	1400 / –रू.	20 लाख रू.
4.	2100 / –रू.	30 लाख रू.

वित्त (बीमा / पेंशन) विभाग के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा परिपत्र जारी कर योजना संचालन हेतु दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये थे :–

1. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के परिपत्र क्रमांक साबीनि / जीपीए / रा.कर्म. / पार्ट–4 / 2017–18 / 004–803 दिनांक 05.04.2021 के दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या–1 में अंकित किया गया है कि समस्त राज्यकर्मियों की प्रीमियम राशि, ऊपर अंकित तालिका में किसी एक श्रेणी जिसका कार्मिक द्वारा चयन किया गया है, अप्रेल देय मई 2021 के वेतन बिल से काटी जोयगी। समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों से प्रीमियम विकल्प भराये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये थे।

2. इस विभाग के परिपत्र संख्या प.128 / कम्प / जीआईएस मॉड्यूल / 2020 / 164–208 दिनांक 16.04.2021 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे कि जिन कार्मिकों को प्रीमियम कटौती पूर्वानुसार ही 220 / – रू. ही रखनी है तथा जिन्हें मनोनयन में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है, उन्हें नए सिरे से ऑनलाइन प्रोपाजल सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। इस परिपत्र में स्पष्ट किया गया था कि 220 / – रू. के अतिरिक्त अन्य प्रीमियम विकल्प का चयन करने वाले कार्मिक माह अप्रेल देय मई 2021 के वेतन से आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से प्रीमियम स्लैब का चयन कर पे–मैनेजर पर कटौती करवा कर दिनांक 31.05.2021 तक एस. आई.पी.एफ. पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति कर ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र डी.डी.ओ. को प्रस्तुत कर सकेंगे।

3. इस विभाग के परिपत्र दिनांक 05.04.2021 के दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या–13 के तहत स्पष्ट किया जा चुका है कि कार्मिक द्वारा चयनित प्रीमियम विकल्प के अनुसार कार्मिक के वेतन में से प्रीमियम कटौती करने के लिये सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी ही पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगा। कार्मिक द्वारा चयनित विकल्प से भिन्न प्रीमियम कटौती होने की स्थिति में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उत्तरादायी नहीं होगा।

4. कतिपय प्रकरणों में यह जानकारी में आया है कि कुछ कार्मिकों द्वारा प्रस्ताव पत्र में किये गये विकल्प चयन के अनुसार आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा प्रीमियम कटौती नहीं करते हुए कम प्रीमियम कटौती कार्मिक के वेतन से कर ली गई है। इसके अतिरिक्त अन्य कारणवश भी कुछ कार्मिकों द्वारा प्रीमियम विकल्प में परिवर्तन/परिवर्द्धन/शेष अन्तर राशि पृथक से जमा कराने की अनुमति चाही जा रही है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि योजना के अन्तर्गत प्रीमियम विकल्प में परिवर्तन/प्रीमियम राशि बढ़ाने या घटाने/अन्तर राशि पृथक से जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वेतन में से जो प्रीमियम कटौती की गई है, उसी के अनुसार ही प्रयुक्त होने वाले बीमाधन के लिए कार्मिकों की दुर्घटना जोखिम वहन की जायेगी।

5. वित्त(बीमा/पेंशन) विभाग के आदेश 25.03.2021 में निर्देश दिये गये हैं कि जिन कार्मिकों के अप्रेल माह का वेतन किन्हीं कारणों से अभी आहरित नहीं किया जा रहा हो तो ऐसे कार्मिक ई–ग्रास के माध्यम से राज्य बीमा विभाग में प्रीमियम राशि 31.05.2021 तक जमा करा सकते हैं। यहाँ पर पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ई–ग्रास के माध्यम से विभागीय बजट मद में प्रीमियम जमा कराने वाले कार्मिकों को भी प्रीमियम में परिवर्तन/परिवर्द्धन तथा अन्तर राशि जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे कार्मिकों द्वारा प्रथमवार मूल रूप से जमा कराई गई प्रीमियम राशि के अनुसार ही बीमित माना जायेगा।

6. समस्त जिला कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है। कि वे उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेगे।

निदेशक महोद्य से अनुमोदन प्राप्त है।

(सुनील चंद बंसल)
अतिरिक्त निदेशक(जी आई एस)
वित्त भवन, जयपुर

E:\Ravindra kantwa\Circular\GPA premium.docx